भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1399
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना योजना</u>

1399. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के. क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सौर पाकों के विकास और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अब तक विशेषकर तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत कितने सौर पार्क विकसित किए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत परियोजना के विकासकर्ताओं को दी गई राजसहायता और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करते समय सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों से सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): सरकार, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजनाओं का कार्यन्वयन कर रही है। योजना के तहत, 39,250 मेगावाट क्षमता को स्वीकृति दी जा चुकी है।

अब तक 22 सौर पार्कों में 11,591 मेगावाट संचयी क्षमता की सौर परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं।

योजना के तहत स्थापित परियोजनाओं के साथ, स्वीकृत सौर पार्कों की सूची अनुलग्नक-**I** में दी गई है। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में कोई सौर पार्क स्वीकृत नहीं है। तमिलनाडु राज्य के लिए पूर्व में दो सौर पार्क स्वीकृत किए गए थे, जिन्हें बाद में धीमी प्रगति के कारण रद्द कर दिया गया था।

(ग) योजना के अंतर्गत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्रति सौर पार्क 25 लाख रु. तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, योजना के अनुसार, सौर पार्कों के विकास के लिए 20 लाख रु. प्रति मेगावाट या ग्रिड-कनेक्टिविटी लागत सहित परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, का सीएफए भी प्रदान किया जाता है।

(घ) सौर पार्क योजना सहित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में, अन्य के साथ-साथ, विवाद रहित भूमि का अधिग्रहण, ट्रांसमिशन अवसंरचना के निर्माण और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की समय-सीमा में एकरूपता, राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ को मंजूरी देने में देरी आदि शामिल हैं।

भूमि अधिग्रहण, पारेषण अवसंरचना एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए समयसीमा में विसंगति तथा विनियामक मुद्दों पर राज्य सरकारों एवं संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से विचार किया जाता है।

सरकार ने सौर पार्क सहित, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने विभिन्न संचार माध्यमों से सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराना सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

इसके अलावा, सौर पार्क योजना के मोड-8 के अंतर्गत, पार्कों में उत्पादित विद्युत पर 0.05 रुपये प्रति यूनिट की दर से सुविधा शुल्क भी राज्य सरकारों को प्रदान किया जाता है, ताकि राज्यों द्वारा सौर विद्युत पार्क डेवलपर्स (एसपीपीडी) को भूमि की पहचान एवं अधिग्रहण करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने, सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरियाँ प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अनुलग्नक-**I**

'अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1399 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

स्थापित सौर पार्कों और सौर परियोजनाओं की सूची (दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	पार्क का नाम	अनुमोदित क्षमता (मेगावाट	स्थापित परियोजनाएं (मेगावाट में)
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरमु सौर पार्क	1400	1400
2.		कुरनूल सौर पार्क	1000	1000
3.		कडप्पा सौर पार्क	1000	250
4.		अनंतपुरमु-II सौर पार्क	500	400
5.		रामगिरी सौर पार्क	300	0
6.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव सौर पार्क	100	100
7.	गुजरात	राधनेसदा सौर पार्क	700	700
8.		धोलेरा सौर पार्क	1000	300
9.		एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा पार्क	4750	0
10.		जीएसईसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क	3325	0
11.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-I	600	0
12.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-II	1200	0
13.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-III	575	0
14.	हिमाचल प्रदेश	पेखुबेला सौर पार्क	53	0
15.	झारखंड	सेकी फ्लोटिंग सौर पार्क	100	0
16.		डीवीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण-I	755	0
17.		डीवीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण-II	234	0
18.	कर्नाटक	पावागडा सौर पार्क	2000	2000
19.		बीदर सौर पार्क	500	0
20.	केरल	कासरगोड सौर पार्क	105	100
21.		फ्लोटिंग सौर पार्क	50	0
22.		कासरगोड सौर पार्क चरण-II	100	0
23.	मध्य प्रदेश	रीवा सौर पार्क	750	750
24.		मंदसौर सौर पार्क	250	250
25.		नीमच सौर पार्क	500	0
26.		आगर सौर पार्क	550	550
27.		शाजापुर सौर पार्क	450	0

क्र.सं.	राज्य	पार्क का नाम	अनुमोदित क्षमता (मेगावाट	स्थापित परियोजनाएं (मेगावाट में)
28.		ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क	600	100
29.		बरेठी सौर पार्क	630	0
30.		मुरैना पार्क	600	0
31.	महाराष्ट्र	साईं गुरु सौर पार्क	500	0
32.		दौंडैचा सौर पार्क	250	0
33.		पटोदा सौर पार्क	250	0
34.		एराई फ्लोटिंग सौर पार्क	105	0
35.	मिजोरम	वंकल सौर पार्क	20	20
36.	ओडिशा	एनएचपीसी द्वारा सौर पार्क	40	0
37.	राजस्थान	भाडला-II सौर पार्क	680	680
38.		भाडला-III सौर पार्क	1000	1000
39.		भाडला-IV सौर पार्क	500	500
40.		फलोदी-पोखरण सौर पार्क	750	450
41.		फतेहगढ़ फेज-1बी सौर पार्क	421	421
42.		नोख सौर पार्क	925	190
43.		पुगल सौर पार्क चरण-I	1000	0
44.		पुगल सौर पार्क चरण-II	1000	0
45.		आरवीयूएन सौर पार्क	2000	0
46.		ट्रेडको सौर पार्क	1292	0
47.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में सौर पार्क	365	365
48.		जालौन सौर पार्क	1200	0
49.		मिर्जापुर सौर पार्क	100	0
50.		कलपी सौर पार्क	65	65
51.		ललितपुर सौर पार्क	600	0
52.		झांसी सौर पार्क	600	0
53.		चित्रकूट सौर पार्क	800	0
54.		कानपुर देहात पार्क	75	0
55.		कानपुर नगर पार्क	35	0
कुल			39250	11591

अनुलग्नक-**II**

'अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1399 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख उपाय

- वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईएः सेकी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत बोलियों के लिए ट्रैजेक्ट्री की अधिसूचना।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा हेतु अलग आरपीओ सहित वर्ष 2029-30 तक के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) ट्रैजेक्ट्री की घोषणा की गई है।
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन और पवन-सौर परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास आदि जैसी योजनाएं।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करना।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) के लिए प्रक्रिया जारी की गई है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" की अधिसूचना जारी की गई।
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने संबंधी अधिसूचना जारी की गई।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****